उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्या /स्था0/आ0ग0/2012–13
दिनांक:देहरादूनः मई 18,2012

कार्यालय ज्ञाप

अर्थ एवं संख्या विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 41/XXVI (16)/2010 दिनांक 26 मार्च, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन, नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या 237/XXVI/(16)/2010 दिनांक 17 मई, 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार षष्टम आर्थिक गणना को सम्पन्न करने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 28–02–2013 तक स्तम्भ– 5 में अंकित पद के सापेक्ष स्तम्भ–6 में अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान तैनाती केन्द्र से कार्यमुक्त होकर अर्थ एवं संख्या निदेशालय–देहरादून में दिनांक 31–05–2012 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें

2– यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है तथा इन पदों पर नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति दिनांक 28–02–2013 के पश्चात स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

क0 सं0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	प्रतिनियुक्ति/ तदर्थ प्रोन्नति का पद	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1–	श्री अव्वल सिंह बिष्ट	अपर सांख्यिकी अधिकारी	अर्थ एवं संख्या निदेशालय	सहायक निदेशक	15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400
2–	सुश्री शालू भटनागर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय, टिहरी गढ़वाल	अपर सांख्यिकी अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600
3–	श्री दिनेश कुमार मिश्र	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला	अपर सांख्यिकी अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600

3– उक्त कार्मिकों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित महंगाई तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। प्रतिनियुक्ति पद पर तैनानी केन्द्र में कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित कार्मिकों को यात्रा भत्ता (तथा वास्तविक कार्यभार ग्रहण समय के अतिरिक्त समय) देय नहीं होगा। कार्मिकों द्वारा निर्धारित समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनके प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश निरस्त किये जा सकते हैं।

(वाई0एस0पांगती),
निदेशक।

संख्या 464/स्था0/आ0ग0/2012–13 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
2– उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– मुख्य/वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल।
4– अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी को इस आशय से कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये कार्मिकों को तुरन्त कार्यमुक्त कर दें।
5– खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी।
6– संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित अधिकारी।
7– स्थापना व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।